

मै. कान्हा एसोसिएट्स अहकाम सुनील दत्त
 नाम

सहायक क्लर्क (फाइट ट्रेक) आर्के

39/2020

(सी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/3/20	<p>थेट आर्चनापा ली. आई. अधिवक्ता आर्ची ने उपस्थित होकर पेश किया रिपोर्ट कार्यालय से नलब की 11 वीं अधिवक्ता आर्ची ने तत्काल सुनवाई हेतु निवेदन किया। अतः आर्चनापा दर्ज रजिस्टर किया जाकर आर्ची को सुना गया।</p> <p>दौरान सुनवाई अन्तिम निवेदान राजस्व रिकॉर्ड के अपलोडिंग से थेट स्पष्ट हुआ है कि मुलवाद पिकापानु के परिप्रेक्ष्य में अस्तित्व दिया गया है परन्तु उपलब्धित वाद अधीन धूमि आर्ची मै. कान्हा एसोसिएट्स के ही नाम एकल स्वामित्वारिता में दर्ज अंकित है तथा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पुराण में तब स्वामित्वार अंकित नहीं है। जिससे एकल स्वामित्वार के रूप में सुक्ति के विभाजन का अनुतोप पोषणीय नहीं होने के आधार पर मुलवाद खारिज किया गया है जिससे आर्चनापा ली. आई. का कोई औचित्य शेष नहीं होने से आ. पा. ली. आई. अब सारहीन होने से खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फेरुल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाकी तकनील शारिखत 4/1/20 हो।</p>	

सहायक क्लर्क (फाइट ट्रेक) आर्के
 मुंबासय-जयपुर